



फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पक्षी श्री धर्मा विपक्षी श्री प्रबोध
 मुकदमा 188/27/21 पत्रावली संख्या 80/21 सन 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>05/6/23 पत्रावली आज केम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 10/7/23 को पेश हो। Lt सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> <p>10/7/23 पक्षकारों/प्रतिवादी सम्प. तलव के लिये मौका चाहते हैं। अतः कलक्टर भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/09/23 को पेश हो। Lt SDO मावली</p> <p>11/6/23 पत्रावली पेश 5... वकील प्राथी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21/11/23 को पेश हो</p> <p>21/11/23 पत्रावली पेश 5... वकील प्राथी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 13/2/24 को पेश हो</p> <p>13/2/24 पत्रावली पेश 5... वकील प्राथी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 04/3/24 को पेश हो। Lt SDO मावली</p>	<p>किताब (002)</p>  

04/09/24
पत्रावली पेश 5-1, वकील प्राथी/अपीलाण्ट,
प्रतिवादी/विपक्षी/रेरपो उपस्थित/पीठाधीन
अधिकारी नहीं. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक...10/06/24.....को पेश हो

10/6/24 तलकी
प्रतिवादी/प्रतिवादी सप. तलकी
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/7/24
को पेश हो।

22/7/24 SDO मावली
प्रतिवादी/प्रतिवादी सप. तलकी
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/10/24
को पेश हो।
(SDO) मावली

29/10/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता मय वादीगण को
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो
चुके हैं। अधिवक्ता मय वादीगण अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता मय वादीगण अनुपस्थित रहने
पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में
अरिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हों।

निर्णय अरे इजलास लिखबया जाकर सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली